



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या- 123/2009

अनिता देवी बनाम् नन्द किशोर साव वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कर्वाई कार्रवाई के बारे में टिप्पण
21-03-2018	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। उक्त दायर वाद में उभय पक्ष की उदासीनता को देखते हुए अभिलेख में संलग्न कागजात एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।</p> <p>अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा पारित आदेश से सहमत होते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया गया है। साथ ही यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा बंजी अर्न्तगत खाता नं०-09 धरम महतो के नाम से दर्ज है एवं खाता नं०-01 हाल खाता नं०-1/7 गैरजमरूआ खास खाते की भूमि है। सर्वे खतियानी रैयत/जमाबन्दी रैयत के वंशजों के बीच आपसी बटवारा नहीं होने के कारण विवाद है।</p> <p>उपरोक्त परिपेक्ष्य में भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या- 26/2008-09 श्रीमति अनीता देवी बनाम् नन्द किशोर साव एवं अन्य में दिनांक 14.07.2009 को पारित आदेश से असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः आवेदिका द्वारा दायर रिविजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, माण्डू को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा बंजी अर्न्तगत खाता नं०-09 एवं खाता नं०-01 हाल खाता नं०- 1/7 (गैरजमरूआ खास) से संबंधित चल रही जमाबन्दी को अगले आदेश तक स्थगित रखते हुए वैधानिक दस्तावेज के आधार पर अग्रेतर-आवश्यक कार्रवाई करें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, माण्डू को भेजें। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> उपायुक्त, रामगढ़।</p> <p style="text-align: right;"> उपायुक्त, रामगढ़।</p>	<p>See 42 8/8/2008</p> <p>21/3/18</p> <p>24/3/18</p> <p>204/वि.वि. 24/3/18</p>